न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2017

1– श्री अरूण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नेमीचन्द जी अग्रवाल आयु बालिग
2– श्री विजयकुमार अग्रवाल पुत्र श्री नेमीचन्द जी अग्रवाल आयु बालिग
जाति अगवाल निवासी अग्रसेन बाजार पांच बत्ती ब्यावर जिला–अजमेर

–––––प्रार्थीगण

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मसूदा जिला–अजमेर

––––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 29.12.2017

संक्षिप्तः प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा देवपुरा पटवार हल्का खरवा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खरवा तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 4897, 4899, 4902, 4903, 4925, 4927 जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, जिसके पश्चिम दिशा में खसरा नंबर 5286/4900 की भूमि विद्यमान है। उक्त भूमि के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 विद्यमान चला आ रहा है, इस प्रकार खसरा नंबर 5286/4900 की भूमि बंजर भूमि मौके पर खाली भूमि के रूप में स्थित है, राजस्व अभिलेख में यह भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज होकर राजकीय भूमि के रूप में स्थित है। उक्त बंजर भूमि में प्रार्थीगण गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से आवागमन प्रार्थीगण की उक्त भूमियो में किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त आम रास्ते से प्रार्थीगण की भूमियो पर आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता भी उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी हक अधिकार की उक्त भूमियो पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 4899 के सामने स्थित खसरा नंबर 5286/4900 की भूमि में से 40 फिट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जाने की आज्ञा प्रदान करावे प्रार्थीगण नियमानुसार राशि वहन करने के लिये तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत करते हुये मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया है, कि मुख्य सडक नेशनल हाईवे नंबर 8 से निकटतम खातेदारी खसरा नंबर 4899 तक पहुंचने हेतु बीच में सिवायचक खसरा नंबर 5286/4900 आता है, वांछित रकबा 18 गट्टा बाई 30 फीट यानि 4 बिस्वा 2 बिस्वांसी है। उक्त स्थल की डी0 एल0 सी0 दर 1,60,600/– रूपये प्रति बीघा होने का कथन किया है। तथा नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से अंकित किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षान की बहस सुनी गई जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने रास्ता उपलब्ध करवाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने कथन किए कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों में आने–जाने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है, केवल बंजर सिवायचक भूमि में से आना जाना करते हैं। यदि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम देवपुरा पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 1 में खसरा संख्या 5286/4900 रकबा 02–02–05 किस्म बारानी–3 बंजर भूमि दर्ज है। खाता संख्या 6 में प्रार्थीगण के नाम खसरा संख्या 4897, 4899, 4902, 4903, 4925,4927 खातेदारी में दर्ज है। नक्शा ट्रेस में उक्त बंजर भूमि प्रार्थीगण की कृषि भूमि के लगते हुए अंकित है। पेरोकार सरकार ने भी उक्त भूमियों पर रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति अंकित नहीं की है।

.....लगातार

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37 सन् 2017
श्री अरूणकुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम देवपुरा पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम के खसरा संख्या 4897, 4899, 4902, 4903, 4925, 4927 जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियां है, में उक्त सिवायचक बंजर भूमि खसरा संख्या 5286/4900 रकबा 02–02–05 किस्म बारानी–3 में से अधिकतम 30 फीट चौड़ा रास्ता के आधार पर कुल रकबा 00–04–02 का वर्तमान डी.एल.सी. दर से राशि रू. 32923/– बनती है जिसकी दुगुनी राशि रू.65846/– राजकोष में जमा करते हुए राजस्व अभिलेखों में इसे सिवायचक आम रास्ता दर्ज किया जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार मसूदा पर पारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्तानुसार राशि राजकोष मद में जमा करवाने के उपरान्त ही राजस्व अभिलेखों व नक्शा ट्रेस में अंकित की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 29/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 15:57:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: